उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-86 /2016/4212/92-1-2016-77(अधि0)/2016टीसी,
लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को, उनके वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत नियमित तैनाती होने अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूटधाम के वर्तमान में रिक्त अधीक्षण अभियंता के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-86/2016/4212(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- संबंधित अधीक्षण अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in